बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

वृहस्पतिवार, तिथि १६ मार्च १९६१।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १६ मार्च १९६१ को पूर्वाह्न ८-३० बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के संबंध में।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इसके लिए समय चाहिए लेकिन मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि अक्सर हमलोग समय लेते हैं जिसमें लोगों को गलतफहमी भी होती है कि समय क्यों लेते हैं। मैं हाउस को कनफिडेन्स में लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो जिम्मेवार होंगे, उनको सजा होगी। यह सवाल १९ जनवरी, १९६१ को हमारे यहां आया। २५ जनवरी १९६१ को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजफ्फरपुर को जवाब के लिए भेज दिया गया। वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यह अनरिजनेबुल डिले हुआ है इसके लिए जो उचित होगा, सरकार कार्रवाई करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या ३८४ के संबंध में।

श्री दारोगा प्रसाद राय—अभी तक इसका जवाब तैयार नहीं हो सका है और इसमें अनयुजुअल डीले हुआ है जिसके लिये सरकार संबंधित कर्मचारियों पर ऐक्शन लेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के संबंध में।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—तारांकित प्रश्न संख्या ३९३ : समय चाहिये।

गणतंत्र समारोह में बिना किसी प्रकार के वेतन में क्षति उठाये सम्मिलित हो सकें। यदि सरकार के अनुरोध पर कोई नियोजक ऐसा नहीं करता है तो इसके लिये उसको कानूनी तौर पर बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अभी यही पोजीशन है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या करना चाहिये।

APPOINTMENT OF THE MARWARI CLERKS.

1127. Shri MRITUNJAYA SINGH : Will the Labour Minister be pleased to state—

(1) the steps taken by Government to implement the recommendation made by the Bihar Central Labour Advisoty Board regarding appointments of Biharies in the industries running in the State of Bihar;

(2) whether it is a fact that after the recommendation of the Bihar Central Labour Advisory Board the Bharat Sugar Mills, Sidhwalia, Saran has appointed four Marwaries clerks instead of Biharies, if so, why ?

श्री केदार पांडे—(१) बिहार केन्द्रीय श्रम परामर्शदात्री समिति ने इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की है जिस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करना था।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

किस्त में लगान की वसूली।

११३९। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि जिस वर्ष जमींदारी उन्मूलन हुआ उस समय से ७ वर्ष की अवतक की सारी मालगुजारी एक साथ इसी वर्ष भूतपूर्व जमींदारों पर लाद दी गयी है और ३१ मार्च तक कुल मालगुजारी वसूलने का अभियान चल रहा है;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो एक साथ नहीं, बल्कि किस्तों में उनसे मालगुजारी वसूलने या उनके मुआवजे से काट लेने के लिये सरकार विचार करती है।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—(१) उत्तर नकारात्मक है। सही बात यह है कि सरकार ने उन जमीनों को जो कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व जमींदारों के पास रह गयी है, उनका लगान निर्धारण संबंधी अभियान चलाने का आदेश दियाहै और यह भी आदेश दिया है कि जिन लगानों की तामादी ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाली है, उनकी वसूली ३१ मार्च, १९६१ तक हो जाना चाहिये। आदेश में यह भी दिया

गया है कि यदि भूतपूर्वा जमीन्दार इन लगानों को नहीं दे सकें तो उनके अध्यंतरिम चुकती, ५० प्रतिशत क्षतिपूर्त्ति तथा क्षतिपूर्त्ति से उनकी राय से चुकती कर दिया जाय। अगर वे राजी न हों तो सर्टिफिकेट के जरिये तमादी होने वाले लगानों की वसूली की जाय।

(२) अन्तरिम क्षतिपूर्त्ति से सरकार के बकाये रकम की वसूली का और साथ ही साथ वसूली में भूतपूर्व जमीन्दारों को कोई परेशानी न हो, ऐसा आदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। लेकिन जो मालगुजारी तमादी होने को है, उसकी वसूली ३१ मार्च १९६१ तक करना जरूरी है।

अध्यक्ष—क्या बौंड से वसूल नहीं किया जा सकता है?

श्री दीप नारायण सिंह—बौंड का भुगतान तो ४० वर्षों में होगा, तो उससे लगान का भुगतान कैसे हो सकता है?

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—अन्तरिम कंपेनसेशन की रकम जो सरकार के यहां बाकी है, उसके बारे में सरकार ने आदेश दिया है कि भूतपूर्व जमीन्दारों को परेशानी न हो। लेकिन जो मालगुजारी तमादी होने वाली है, उसकी वसूली ३१ मार्च तक जरूर हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष—यानी आपने तमादी का समय बढ़ा दिया है।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या यह बात सही है कि नहीं कि सरकार के आदेश देने के बावजूद जिनका मुआवजा सरकार के जिम्मे बाकी है, उसको मालगुजारी में मीनहा कर लिया जाय, इस आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी लोग सख्ती कर रहे हैं कि मालगुजारी मीनहा नहीं होगी और मालगुजारी को चुकती करना होगा?

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—इस आदेश के बावजूद भी अगर कोई अंचलाधिकारी उसका उल्लंघन कर रहा है तो डेफीनीट केस मिलने पर सरकार कार्रवाई करेगी।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार को यह मालूम है कि नहीं कि पूसा और मैरवा के अंचलाधिकारी भूतपूर्व जमीन्दारों को आदेश दिया है कि ३१ मार्च तक पूरे रुपये की चुकती नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सर्टिफिकेट जारी किया जायगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कल एक जमीन्दार श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पी० ओ० वैनी, थाना ताजपुर मेरे यहां आये थे और उन्होंने कहा है कि उनपर ऐसा आदेश जारी हुआ है कि उनका रुपया सरकार के यहां बाकी है तो क्या सरकार इस संबंध में एक सरकुलर कर देगी कि असेम्बली के सदस्यों की इस तरह की शिकायत है जिसे बन्द किया जाय।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—करीब-करीब हर अंचल से ऐसी शिकायत सुनने में आई है और सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी। पूसा और मैरवा के अंचलाधिकारी के पास भी लिख दिया जायगा कि वे सख्ती न करें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—प्रश्न के दूसरे खंड में मैंने यह भी पूछा है कि जो भूतपूर्व जमीनदार नहीं हैं, और काश्तकार हैं, उन पर सात साल का बकाया रुपया एक साथ बांध दिया गया है और एक साथ ही वसूला जा रहा है जिस कारण किसी को हजार, किसी को २ हजार और किसी को ५०० रु० तक लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसके भुक्तभोगी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं काश्तकारों पर भी किस्तबन्दी कर दी जाय?

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—मैं आश्वासन देता हूं कि सहूलियत के साथ वसूली का काम किया जायगा। सिर्फ जो तमादी हो रही है, उसको सरकार छोड़ना नहीं चाहती है।

अध्यक्ष—आपने सरकुलर भेजा होगा कि ३१ मार्च, १९९१ को तमादी होने वाली है लेकिन आपने इसकी अवधि को बढ़ा दिया है।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—जी हां, दो साल तक बढ़ा दिया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या आप टेलीग्राम से सभी चंचल अधिकारियों को खबर कर देंगे कि वे वसूली में सख्ती न करें?

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—टेलीग्राम या जैसे हो, खबर कर दिया जायगा।

*श्री बदरी सिंह—क्या सरकार हर ब्लॉक डेवलपमेन्ट आफिसर और अंचल अधिकारियों को टेलीग्राम से आदेश देगी कि जिससे सख्ती के साथ जो वसूली हो रही है, वह बन्द हो जाय?

श्री अब्दुल अहद महम्मद नूर—वसूली को बन्द करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है मगर सख्ती करने की जो शिकायत है, उसके लिए सरकार लेटर इशु कर देगी।

*श्री इन्द्र नारायण सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के यहां जो बकायें हैं, उसके बदले बॉंड स्वीकार करेगी?

अध्यक्ष—नहीं। इसका जवाब तो उन्होंने पहले ही दे दिया है।

*श्री कामदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेन्ट फिक्सेशन जैसा सर्वे सेटलमेन्ट में दर्ज है, उसके अनुसार फिक्सेशन होगा?

श्री अब्दुल अहद महम्मद नूर—इसके लिए नोटिस चाहिए।

इमामुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना:
तिथि: १६ मार्च, १९९१।